COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955

(1955 का अधिनियम संख्यांक 45)[1]

[20 दिसम्बर, 1955]

समाचारपत्र-स्थापनों में नियोजित श्रमजीवी पत्रकारों तथा अन्य व्यक्तियों की कतिपय सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) यह अधिनियम [2][श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार [3]*** सम्पूर्ण भारत पर है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

[4][(क) "बोर्ड" से अभिप्रेत है—

(i) श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में धारा 9 के अधीन गठित मजदूरी बोर्ड; और

(ii) पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों के संबंध में धारा 13ग के अधीन गठित मजदूरी बोर्ड;]

(ख) "समाचारपत्र" से ऐसी कोई छपी हुई नियतकालिक कृति अभिप्रेत है जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टीका टिप्पणियां हों और इसके अन्तर्गत छपी हुई नियतकालिक कृति का ऐसा अन्य वर्ग भी है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित किया जाए;

(ग) "समाचार-पत्र कर्मचारी" से कोई श्रमजीवी पत्रकार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य व्यक्ति भी है जो किसी समाचारपत्र-स्थापन में या उसके संबंध में किसी काम को करने के लिए नियोजित किया जाए;

(घ) "समाचार-स्थापन" से एक या अधिक समाचारपत्रों के उत्पादन या प्रकाशन के लिए अथवा कोई समाचार एजेन्सी या सिंडिकेट चलाने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के, चाहे वह निगमित हो या नहीं, नियन्त्रण के अधीन कोई स्थापन अभिप्रेत है [5][और इसके अन्तर्गत ऐसे समाचारपत्र स्थापन भी हैं जो अनुसूची के अधीन एक स्थापन के रूप में विनिर्दिष्ट है]।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) समाचारपत्र-स्थापनों के विभिन्न विभागों, शाखाओं और केन्द्रों को उनका भाग समझा जाएगा;

(ख) मुद्रणालय समाचारपत्र-स्थापन समझा जाएगा, यदि उसका मुख्य कारबार समाचारपत्र मुद्रित करना है;]

[6][(घघ) "पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी समाचारपत्र-स्थापन में या उसके संबंध में किसी काम को करने के लिए नियोजित किया जाता है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो—

---

[1] 1963 के विनियम सं० 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर तथा 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी पर विस्तार किया गया।

[2] 1974 के अधिनियम सं० 60 की धारा 2 द्वारा "श्रमजीवी पत्रकारों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 1970 के अधिनियम सं० 51 की धारा 2 द्वारा "जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों को लोप किया गया।

[4] 1974 के अधिनियम सं० 60 की धारा 3 द्वारा खण्ड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[5] 1989 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा भूतलक्षी रूप से अन्त:स्थापित।

[6] 1974 के अधिनियम सं० 60 की धारा 3 द्वारा अन्त:स्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(i) श्रमजीवी पत्रकार है, या

(ii) मुख्य रूप से प्रबन्धकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित है, या

(iii) पर्यवेक्षकीय हैसियत में नियोजित होते हुए या तो अपने पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रकृति के कारण या अपने में निहित शक्तियों के कारण ऐसे कृत्यों का पालन करता है जो मुख्यत: प्रबन्धक प्रकृति के हैं;]

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

[1][(ङङ) "अधिकरण" से—

(i) श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में धारा 13कक के अधीन गठित अधिकरण अभिप्रेत है; और

(ii) पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों के सम्बन्ध में धारा 13घघ के अधीन गठित अधिकरण अभिप्रेत है;]

[2][(ङङङ) "मजदूरी" से अभिप्रेत है धन के रूप में अभिव्यक्त किए जाने योग्य सभी ऐसे पारिश्रमिक, जो नियोजन के अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधनों के पूरा किए जाने की दशा में समाचारपत्र कर्मचारी को उसके नियोजन या ऐसे नियोजन में किए गए कार्य की बाबत संदेय होंगे, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

(i) ऐसे भत्ते (जिनके अंतर्गत मंहगाई भत्ता भी है), जिनका समाचारपत्र कर्मचारी तत्समय हकदार है;

(ii) किसी गृह-वास सुविधा या बिजली, पानी, चिकित्सीय परिचर्या या अन्य सुख-सुविधा के प्रदाय या किसी सेवा का या खाद्यान्न या अन्य वस्तुओं के किसी रियायती प्रदाय का मूल्य;

(iii) कोई यात्रा रियायत,

किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है—

(क) कोई बोनस;

(ख) नियोजक द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि में या समाचारपत्र कर्मचारी के फायदे के लिए संदत्त या संदेय कोई अभिदाय;

(ग) उसकी सेवा की समाप्ति पर संदेय कोई उपदान ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड में, "मजदूरी" शब्द के अंतर्गत समय-समय पर नियत किए गए किसी भी वर्णन के नए भत्ते यदि कोई हों, होंगे ;]

(च) "श्रमजीवी पत्रकार" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका मुख्य व्यवसाय पत्रकार का है और [3][जो एक या अधिक समाचारपत्र-स्थापनों में या उसके या उनके संबंध में या तो पूर्णकालिक रूप से या अंशकालिक रूप से इस हैसियत में नियोजित है] और उसके अन्तर्गत सम्पादक, अग्रलेख लेखक, समाचार सम्पादक, उप-सम्पादक, फीचर लेखक, प्रकाशन-विवेचक रिपोर्टर, संवाददाता, व्यंगचित्रकार, समाचार-फोटोग्राफर और प्रफू रीडर भी हैं, किन्तु ऐसा कोई व्यक्ति इसके अन्तर्गत नहीं है जो—

(i) मुख्य रूप से प्रबन्धकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित है, या

(ii) पर्यवेक्षकीय हैसियत में नियोजित होते हुए या तो अपने पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रकृति के कारण या अपने में निहित शक्तियों के कारण ऐसे कृत्यों का पालन करता है जो मुख्यत: प्रबन्धकीय प्रकृति के हैं;

(छ) ऐसे सब शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में परिभाषित किए गए हैं वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें उस अधिनियम में क्रमश: दिए गए हैं ।

अध्याय 2

श्रमजीवी पत्रकार

3. 1947 के अधिनियम 14 का श्रमजीवी पत्रकारों को लागू होना—(1) तत्समय यथा प्रवृत्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्ध उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुए श्रमजीवी पत्रकारों को या उनके सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उन व्यक्तियों को या उनके संबंध में लागू होते हैं जो उस अधिनियम के अर्थ में कर्मकार हैं ।

---

[1] 1979 के अधिनियम सं० 6 की धारा 2 द्वारा (31-1-1979 से) अन्त:स्थापित ।

[2] 1989 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा (भूतलक्षी रूप से) अन्त:स्थापित ।

[3] 1981 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा (13-8-1980 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में लागू होने में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 25च का ऐसा अर्थ लगया जाएगा मानो उसके खण्ड (क) में, कर्मकार की छंटनी के संबंध में उसमें विनिर्दिष्ट सूचना की कालावधि के स्थान पर श्रमजीवी पत्रकार की छंटनी के संबंध में सूचना की निम्नलिखित कालावधियां रख दी गई हों, अर्थात् :—

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(क) सम्पादक की दशा में, छह मास, और

(ख) किसी अन्य श्रमजीवी पत्रकार की दशा में, तीन मास ।

4. छंटनी के कतिपय मामलों के बारे में विशेष उपबन्ध—जहां 1954 की जुलाई के 14वें दिन और 1955 के मार्च के 12वें दिन के बीच किसी समय किसी श्रमजीवी पत्रकार की छंटनी की गई है वहां वह नियोजक से निम्नलिखित पाने का हकदार होगा—

(क) एक मास की मजदूरी, उस दर पर, जिसके लिए वह अपनी छंटनी से ठीक पहले हकदार था, तब के सिवाय जब कि ऐसी छंटनी से पूर्व उसे एक मास की लिखित सूचना दे दी गई थी, तथा

(ख) प्रतिकर, जो उस नियोजक के अधीन सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष या उसके छह मास से अधिक के किसी भाग के लिए पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर होगा ।

[1][**5. उपदान के संदाय**—(1) जहां—

(क) कोई श्रमजीवी पत्रकार, चाहे उस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् किसी समाचारपत्र-स्थापन में लगातार तीन वर्ष से अन्यून समय तक सेवा में रहा है, और—

(i) उस समाचारपत्र-स्थापन के संबंध में उसकी सेवाओं को नियोजक द्वारा समाप्ति, अनुशासनिक कार्यवाही के तौर पर दिए गए दंड से भिन्न किसी भी कारण से की जाती है, या

(ii) वह अधिवर्षिता की आयु का होने पर सेवा से निवृत्त हो जाता है; अथवा

(ख) कोई श्रमजीवी पत्रकार, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् किसी समाचारपत्र-स्थापन में लगातार दस वर्ष से अन्यून समय तक सेवा में रहा है और वह उस समाचारपत्र-स्थापन में सेवा से अन्त:करण से भिन्न किसी भी आधार पर 1961 की जुलाई के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् स्वेच्छया पद त्याग कर देता है; या

(ग) कोई श्रमजीवी पत्रकार, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात्, किसी समाचारपत्र-स्थापन में, लगातार तीन वर्ष से अन्यून समय तक सेवा में रहा है और वह उस स्थापन में सेवा से, अंत:करण के आधार पर 1961 की जुलाई के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् स्वेच्छया पद त्याग कर देता है; या

(घ) कोई श्रमजीवी पत्रकार, किसी समाचारपत्र-स्थापन में सेवा के दौरान मर जाता है वहां उस श्रमजीवी पत्रकार को, या उसकी मृत्यु की दशा में, यथास्थिति, उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को या यदि श्रमजीवी पत्रकार की मृत्यु के समय कोई नामनिर्देशन प्रवृत्त न हो तो उसके कुटुम्ब को, ऐसी समाप्ति, निवृत्ति, पदत्याग या मृत्यु पर, उस स्थापन के संबंध में नियोजक द्वारा ऐसा उपदान, जो सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष या उसके छह मास से अधिक के किसी भाग के लिए पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर होगा, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं फायदों या अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संदत्त किया जाएगा :

परन्तु खण्ड (ख) में निर्दिष्ट श्रमजीवी पत्रकार की दशा में उपदान की कुल रकम जो उसको संदेय होगी साढ़े-बारह मास के औसत वेतन से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां कोई श्रमजीवी पत्रकार किसी ऐसे समाचारपत्र-स्थापन में नियोजित है जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले के बारह मास के किसी दिन छह से अनधिक श्रमजीवी पत्रकार नियोजित थे वहां ऐसे समाचारपत्र-स्थापन में नियोजित किसी श्रमजीवी पत्रकार को ऐसे प्रारम्भ से पूर्व सेवा की किसी कालावधि के लिए संदेय उपदान सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष या उसके छह मास से अधिक के किसी भाग के लिए पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर नहीं होगा किन्तु निम्नलिखित के बराबर होगा :—

(क) सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष या उसके छह मास से अधिक के किसी भाग के लिए तीन दिन का औसत वेतन यदि ऐसी पिछली सेवा की कालावधि पांच वर्ष से अधिक नहीं है;

(ख) सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष या उसके छह मास से अधिक के किसी भाग के लिए पांच दिन का औसत वेतन यदि ऐसी पिछली सेवा की कालावधि पांच वर्ष से अधिक है किन्तु दस वर्ष से अधिक नहीं है; तथा

(ग) सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष या उसके छह मास से अधिक के किसी भाग के लिए सात दिन का औसत वेतन यदि ऐसी पिछली सेवा की कालावधि दस वर्ष से अधिक है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा और धारा 17 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है—

---

[1] 1962 के अधिनियम सं० 65 की धारा 3 द्वारा (15-1-1963 से) धारा 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(i) पुरुष श्रमजीवी पत्रकार की दशा में, उसकी विधवा, बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, और उसके आश्रित माता-पिता और उसके मृत पुत्र की विधवा और बच्चे :

COURT BOOK

परन्तु किसी विधवा को श्रमजीवी पत्रकार के कुटुम्ब का सदस्य नहीं समझा जाएगा यदि उसकी मृत्यु के समय वह उसके द्वारा भरण-पोषण की वैध रूप से हकदार नहीं थी;

(ii) महिला श्रमजीवी पत्रकार की दशा में, उसका पति, बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, और श्रमजीवी पत्रकार के या उसके पति के आश्रित माता-पिता, और उसके मृत पुत्र की विधवा और बच्चे :

परन्तु यदि उस महिला श्रमजीवी पत्रकार ने अपने पति को कुटुम्ब से अपवर्जित करने की अपनी इच्छा अभिव्यक्त की है तो पति और पति के आश्रित माता-पिता उस महिला श्रमजीवी पत्रकार के कुटुम्ब के भाग नहीं समझे जाएंगे,

और उपर्युक्त दोनों ही दशाओं में, यदि श्रमजीवी पत्रकार के या श्रमजीवी पत्रकार के मृत पुत्र के बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक ले लिया गया है और यदि दत्तकगृहीता की स्वीय विधि के अधीन, दत्तकग्रहण वैध रूप से मान्य है तो ऐसा बच्चा उस श्रमजीवी पत्रकार के कुटुम्ब का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(2) इस बाबत कोई विवाद कि क्या किसी श्रमजीवी पत्रकार ने अपने अंत:करण के आधार पर किसी समाचारपत्र स्थापन में सेवा से स्वेच्छया पदत्याग कर दिया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या किसी राज्य में प्रवृत्त औद्योगिक विवादों की जांच-पड़ताल और निपटारे से संबंध किसी तत्समान विधि के अर्थ में औद्योगिक विवाद समझा जाएगा।

(3) जहां कोई नामनिर्देशिती अवयस्क है और उपधारा (1) के अधीन उपदान उसकी आवश्यकता के दौरान संदेय हो गया है वहां वह धारा 5क की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त व्यक्ति को संदत्त किया जाएगा :

परन्तु जहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है वहां संदाय सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त, अवयस्क की सम्पत्ति के किसी संरक्षक को या जहां ऐसा कोई संरक्ष्ाक नियुक्त नहीं किया गया है वहां अवयस्क के माता-पिता में से किसी को या जहां माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है वहां अवयस्क के किसी अन्य संरक्षक को दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां उपदान दो या अधिक नामनिर्देशितियों को संदेय है और उनमें से कोई एक मर जाता है वहां उपदान उत्तरजीवी नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को संदत्त किया जाएगा।

5क. श्रमजीवी पत्रकार द्वारा नामनिर्देशन—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में, या वसीयत द्वारा अथवा अन्यथा किए गए किसी व्ययन में, श्रमजीवी पत्रकार को संदेय किसी उपदान की बाबत किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी श्रमजीवी पत्रकार को तत्समय देय उपदान का संदाय प्राप्त करने का अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदत्त करना विहित रीति से किए गए किसी नामनिर्देशन से तात्पर्यित है वहां नामनिर्देशिती, उस श्रमजीवी पत्रकार की मृत्यु पर, अन्य सब व्यक्तियों का अपवर्जन करके उस उपदान का और उसकी बाबत देयराशि का संदाय प्राप्त करने का हकदार होगा जब तक कि वह नामनिर्देशन विहित रीति से परिवर्तित नहीं कर दिया जाता या रद्द नहीं कर दिया जाता।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नामनिर्देशन उस दशा में शून्य हो जाएगा जिसमें नामनिर्देशिती की मृत्यु या जहां दो या अधिक नामनिर्देशिती हों वहां सब नामनिर्देशितियों की मृत्यु, नामनिर्देशन करने वाले श्रमजीवी पत्रकार से पहले हो जाती है।

(3) जहां नामनिर्देशिती अवस्यक है वहां नामनिर्देशन करने वाले श्रमजीवी पत्रकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान अपनी मृत्यु हो जाने की दशा में उपदान प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को विहित रीति से नियुक्त कर दे।]

6. काम के घंटे—(1) किन्हीं नियमों के, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, अध्यधीन रहते हुए, किसी भी श्रमजीवी पत्रकार से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे इस बात की इजाजत नहीं होगी कि वह किसी समाचारपत्र-स्थापन में लगातार चार सप्ताहों की किसी कालावधि के दौरान, भोजन के समयों को छोड़कर, एक सौ चवालीस घंटों से अधिक के लिए काम करे।

(2) प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकार को, लगातार सात दिनों की किसी कालावधि के दौरान, लगातार चौबीस घण्टों से अन्यून कालावधि के लिए विश्राम अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें रात के 10 बजे और सवेरे के 6 बजे के बीच की कालावधि सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सप्ताह" से शनिवार की मध्यरात्रि से आरम्भ होने वाली सात दिन की कालावधि अभिप्रेत है।

7. छुट्टी—ऐसे अवकाश दिनों, आकस्मिक छुट्टी या अन्य प्रकार की छुट्टियों पर, जैसी विहित की जाए, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकार निम्नलिखित का हकदार होगा—

(क) कर्तव्य पर व्यतीत कालावधि के एक बटा ग्यारह से अन्यून के लिए पूरी मजदूरी पर उपार्जित छुट्टी;

(ख) सेवा की कालावधि के एक बटा अठारह से अन्यून के लिए आधी मजूदरी पर चिकित्सा प्रमाणपत्र पर छुट्टी।

[1][**8. मजदूरी की दरों का नियत या पुनरीक्षित किया जाना**—(1) केन्द्रीय सरकार, इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से—

(क) श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजदूरी की दरें नियत कर सकेगी;

(ख) इस धारा के अधीन नियत या श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी दर नियतन) अधिनियम, 1958 (1958 का 29) की धारा 6 के अधीन दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट मजदूरी की दरों को ऐसे अन्तरालों पर, जैसे वह ठीक समझे, समय-समय पर पुनरीक्षित कर सकेगी ।

(2) श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजदूरी की दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा कालानुपाती काम के लिए और मात्रानुपाती काम के लिए नियत या पुनरीक्षित की जा सकेगी ।

9. मजदूरी की दर नियत और पुनरीक्षित करने के लिए प्रक्रिया—इस अधिनियम के अधीन श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजदूरी की दरों को नियत या पुनरीक्षित करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, जैसे और जब आवश्यक हो, एक मजदूरी बोर्ड गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) समाचारपत्र-स्थापनों के सम्बन्ध में नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले [2][तीन व्यक्ति];

(ख) श्रमजीवी पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले [2][तीन व्यक्ति];

(ग) [2][चार स्वतन्त्र व्यक्ति], जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी उच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और जो उस सरकार द्वारा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा ।

10. बोर्ड द्वारा सिफारिश—(1) बोर्ड, ऐसी रीति से, जैसी वह ठीक समझे, प्रकाशित सूचना द्वारा, समाचारपत्र-स्थापनों और श्रमजीवी पत्रकारों तथा श्रमजीवी पत्रकारों की मजदूरी की दरों को नियत और पुनरीक्षित करने में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों से अपेक्षा करेगा कि वे मजदूरी की दरों के सम्बन्ध में, जो श्रमजीवी पत्रकारों के लिए इस अधिनियम के अधीन नियत या पुनरीक्षित की जा सकती है, ऐसे अभ्यावेदन जैसे वे ठीक समझे ।

(2) ऐसा हर अभ्यावेदन लिखित रूप में होगा और ऐसी कालावधि के अन्दर किया जाएगा जो बोर्ड सूचना में विनिर्दिष्ट करे तथा उसमें मजदूरी की ऐसी दरें कथित होंगी जो अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति की राय में, नियोजक की उन्हें संदाय करने की सामर्थ्य को या किन्हीं ऐसी अन्य परिस्थितियों को जो अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को अपने अभ्यावेदन के सम्बन्ध में सुसंगत प्रतीत हों ध्यान में रखते हुए, युक्तियुक्त होंगी ।

(3) बोर्ड, पूर्वोक्त अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करेगा और अपने समक्ष रखी गई सामग्री की परीक्षा करने के पश्चात् श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजदूरी की दरें नियत या पुनरीक्षित करने के लिए केन्द्रीय सरकार में ऐसी सिफारिशें करेगा जैसी वह ठीक समझे; और ऐसी किसी सिफारिश में चाहे भविष्यलक्षी रूप से अथवा भूतलक्षी रूप से, वह तारीख विनिर्दिष्ट हो सकेगी जिससे मजदूरी की वे दरें प्रभावशाली होनी चाहिएं ।

(4) केन्द्रीय सरकार से कोई सिफारिशें करने में बोर्ड, निर्वाह-व्यय का, सदृश नियोजन के लिए विद्यमान मजदूरी की दरों का, देश के विभिन्न प्रदेशों में समाचारपत्र उद्योग से सम्बद्ध परिस्थितियों का और किन्हीं अन्य परिस्थितियों का, जो बोर्ड को सुसंगत प्रतीत हों, ध्यान रखेगा ।

[3][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा की कोई भी बात बोर्ड को अखिल भारतीय आधार पर मजदूरी की दरें नियत करने या पुनरीक्षित करने की सिफारिश करने से निवारित नहीं करेगी ।]

11. बोर्ड की शक्तियां और प्रक्रिया—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए बोर्ड, उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण उनको निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए करता है और उसे इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों में, यदि कोई हों, अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(2) बोर्ड से किए गए अभ्यावेदन और साक्ष्य के रूप में उसे दी गई दस्तावेजें, मामले में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसी फीस लेने पर, जैसी विहित की जाए, निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी ।

(3) यदि किसी कारण बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के पद में रिक्ति होती है तो केन्द्रीय सरकार उस रिक्ति की पूर्ति धारा 9 के उपबन्धों के अनुसार उस पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी और किसी भी कार्यवाही को ऐसे पुनर्गठित बोर्ड के समक्ष उस प्रक्रम से जारी रखा जा सकेगा जिस पर वह रिक्ति हुई थी ।

---

[1] 1962 के अधिनियम सं० 65 की धारा 4 द्वारा (15-1-1963 से) धारा 8 से धारा 13 तक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1996 के अधिनियम सं० 34 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1989 के अधिनियम सं० 31 की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया ।

COURT BOOK

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

12. मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को प्रवर्तित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियां—(1) बोर्ड की सिफारिशों की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र केन्द्रीय सरकार, सिफारिशों के निबंधनों के अनुसार या ऐसे उपान्तरों के अध्यधीन, यदि कोई हों, जैसे वह ठीक समझे और उपान्तर ऐसे होंगे जो केन्द्रीय सरकार की राय में सिफारिशों के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करते, आदेश करेगी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, यदि वह ठीक समझती है,—

(क) सिफारिशों में उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार के उपांतरण न होने वाले ऐसे उपांतरण कर सकेगी जैसे वह ठीक समझे :

परन्तु ऐसा कोई उपान्तर करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार उन सब व्यक्तियों को, जिन पर उनका प्रभाव पड़ना सम्भाव्य हो, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, सूचना दिलवाएगी और उन अभ्यावेदनों पर विचार करेगी जो वे लिखित रूप में इस निमित्त करें; अथवा

(ख) सिफारिशों या उनके किसी भाग को बोर्ड को निर्देशित कर सकेगी जिस दशा में केन्द्रीय सरकार उसकी अतिरिक्त सिफारिशों पर विचार करेगी और या तो सिफारिशों के निबन्धनों के अनुसार या उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार के ऐसे उपान्तरों के सहित, जैसे वह ठीक समझे, आदेश करेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, बोर्ड की उस आदेश से सम्बद्ध सिफारिशों के साथ शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और वह आदेश प्रकाशन की तारीख को या चाहे भविष्यलक्षी रूप से अथवा भूतलक्षी रूप से ऐसी तारीख को, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवर्तन में आएगा ।

13. श्रमजीवी पत्रकारों का आदेश में विनिर्दिष्ट दरों से अन्यून दरों पर मजदूरी का हकदार होना—धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार के आदेश के प्रवर्तन में आने पर, प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकार इस बात का हकदार होगा कि उसे उनके नियोजक द्वारा उस दर पर मजदूरी दी जाए जो आदेश में विनिर्दिष्ट मजदूरी की दर से किसी भी दशा में कम न होगी ।

13क. मजदूरी की अन्तरिम दर नियत करने की सरकार की शक्ति—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है वहां वह बोर्ड से परामर्श के पश्चात्, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजदूरी की अन्तरिम दरें नियत कर सकेगी ।

(2) ऐसी नियत मजदूरी की अन्तरिम दरें समाचारपत्र-स्थापनों के सम्बन्ध में सब नियोजकों पर आबद्धकर होंगी और प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकार इस बात का हकदार होगा कि उसे उस दर पर मजदूरी दी जाए जो उपधारा (1) के अधीन नियत मजदूरी की अन्तरिम दरों से किसी भी दशा में कम नहीं होगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियत मजदूरी की अन्तरिम दरें, धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार के आदेश के प्रवर्तन में आने तक प्रवृत्त रहेंगी ।]

[1][**13कक. श्रमजीवी पत्रकारों की बाबत मजदूरी की दरें नियत करने या पुनरीक्षित करने के लिए अधिकरण का गठन**—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस अधिनियम के अधीन श्रमजीवी पत्रकारों की बाबत मजदूरी की दरें नियत करने या उनका पुनरीक्ष्ाण करने के प्रयोजन के लिए धारा 9 के अधीन गठित बोर्ड (किसी भी कारण) प्रभावकारी रूप में काम करने में समर्थ नहीं रहा है और परिस्थितियों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक है तो वह श्रमजीवी पत्रकारों की बाबत इस अधिनियम के अधीन मजदूरी की दरें नियत करने या उनका पुनरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक अधिकरण का गठन कर सकेगी । इस अधिकरण में एक व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है ।

(2) धारा 10 से धारा 13क के उपबन्ध्ा, इस धारा की उपधारा (1) के अधीन गठित अधिकरण, केन्द्रीय सरकार और श्रमजीवी पत्रकारों को और उनके सम्बन्ध में निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन रहते हुए, लागू होंगे—

(क) उन धाराओं में बोर्ड के प्रति निर्देशों का, जहां कहीं भी वे आते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे अधिकरण के प्रति निर्देश है;

(ख) धारा 11 की उपधारा (3) में,—

(i) बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के पद के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह अधिकरण गठित करने वाले व्यक्ति के प्रति निर्देश है, और

(ii) धारा 9 के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगया जाएगा कि वह इस धारा की उपधारा (1) के प्रति निर्देश हैं; और

(ग) धारा 13 और धारा 13क में धारा 12 के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस धारा के साथ पठित धारा 12 के प्रति निर्देश हैं ।

---

[1] 1979 के अधिनियम सं० 6 की धारा 3 द्वारा (31-1-1979 से) अन्त:स्थापित ।

(3) अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में मजदूरी बोर्ड द्वारा अभिलिखित या भागत: मजदूरी बोर्ड द्वारा और भागत: स्वयं उसके द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर ही कार्यवाही कर सकेगा :

COURT BOOK

परन्तु यदि अधिकरण की यह राय है कि उन साक्षियों में से जिनका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, किसी भी अतिरिक्त परीक्षा, न्याय के हित में आवश्यक है तो वह किसी ऐसे साक्षी को पुन: समन कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुन:परीक्षा के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी वह अनुज्ञात करे, उसे उन्मोचित कर दिया जाएगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन अधिकरण के गठन हो जाने पर, ऐसे गठन से ठीक पूर्व धारा 9 के अधीन गठित और कार्य कर रहे बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और उस बोर्ड के सदस्यों के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने अपने पद रिक्त कर दिए हैं :

परन्तु श्रमजीवी पत्रकारों की बाबत धारा 13क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की गई और अभिकरण के गठन से ठीक पूर्व प्रवृत्त मजदूरी की अन्तरिम दरें तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक केन्द्रीय सरकार का इस धारा के साथ पठित धारा 12 के अधीन आदेश प्रवर्तन में नहीं आता ।]

[1][**अध्याय 2क**

पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारी

13ख. पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों की मजदूरी की दरों का नियत या पुनरीक्षित किया जाना—(1) केन्द्रीय सरकार, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से,—

(क) पत्रकारों से भिन्न समाचार कर्मचारियों के लिए मजदूरी की दरें नियत कर सकेगी; और

(ख) इस धारा के अधीन नियत मजदूरी की दरों को ऐसे अन्तरालों पर जैसे वह ठीक समझे, समय-समय पर पुनरीक्षित कर सकेगी ।

(2) पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए मजदूरी की दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा कालानुपाती काम के लिए और मात्रानुपाती काम के लिए नियत या पुनरीक्षित की जा सकेंगी ।

13ग. पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए मजदूरी की दरें नियत या पुनरीक्षित करने के लिए मजदूरी बोर्ड—इस अधिनियम के अधीन पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए मजदूरी की दरों को नियत या पुनरीक्षित करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, जैसे और जब आवश्यक हो, एक मजदूरी बोर्ड गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(क) समाचारपत्र-स्थापनों के सम्बन्ध में नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले [2][तीन व्यक्ति] ;

(ख) पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले [2][तीन व्यक्ति]; और

(ग) [2][चार स्वंतत्र व्यक्ति], जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी उच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और जो उस सरकार द्वारा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा ।

13घ. कुछ उपबन्धों का लागू होना—धारा 10 से लेकर धारा 13क तक के उपबन्ध, धारा 13ग के अधीन गठित बोर्ड, केन्द्रीय सरकार और पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों को और उनके संबंध में इन उपान्तरों के अधीन लागू होंगे कि—

(क) उनमें बोर्ड और श्रमजीवी पत्रकारों के प्रति निर्देशों का, जहां कहीं भी वे आते हैं, यह अर्थ किया जाएगा कि वे क्रमश: धारा 13ग के अधीन गठित बोर्ड के और पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों के प्रति निर्देश हैं;

(ख) धारा 11 की उपधारा (3) में धारा 9 के प्रति निर्देशों का यह अर्थ किया जाएगा कि वे धारा 13ग के प्रति निर्देश हैं; और

(ग) धारा 13 और धारा 13क में धारा 12 के प्रति निर्देशों का यह अर्थ किया जाएगा कि वे इस धारा के साथ पठित धारा 12 के प्रति निर्देश हैं ।]

[3][**13घघ. पत्रकारों के भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों की बाबत मजदूरी की दरें नियत करने या पुनरीक्षित करने के लिए अधिकरण का गठन**—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों की बाबत मजदूरी की दरें नियत करने या उनका पुनरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए धारा 13ग के अधीन गठित बोर्ड किसी भी कारण प्रभावकारी रूप में काम करने में समर्थ नहीं रहा है और परिस्थितियों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक है तो वह पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों की बाबत इस अधिनियम के अधीन मजदूरी की दरें नियत करने या उसका पुनरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक अधिकरण का गठन कर सकेगी । इस अधिकरण में एक व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है ।

---

[1] 1974 के अधिनियम सं० 60 की धारा 4 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[2] 1996 के अधिनियम सं० 34 की धारा 3 द्वारा (28-9-1996 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1979 के अधिनियम सं० 6 की धारा 4 द्वारा (31-1-1979 से) अन्त:स्थापित ।

COURT BOOK

(2) धारा 10 से धारा 13क के उपबन्ध, इस धारा की उपधारा (1) के अधीन गठित अधिकरण, केन्द्रीय सरकार और पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों की और उनके संबंध में निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन रहते हुए, लागू होंगे—

(क) उन धाराओं में बोर्ड और श्रमजीवी पत्रकारों के प्रति निर्देशों का जहां कहीं वे आते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमश: के और पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों के प्रति निर्देश है; और

(ख) धारा 11 की उपधारा (3) में—

(i) बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के पद के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह अधिकरण गठित करने वाले व्यक्ति के पद के प्रति निर्देश है; और

(ii) धारा 9 के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस धारा की उपधारा (1) के प्रति निर्देश हैं; और

(ग) धारा 13 और धारा 13क में धारा 12 के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस धारा के साथ पठित धारा 12 के प्रति निर्देश हैं ।

(3) अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहनों में मजदूरी बोर्ड द्वारा अभिलिखित या भागत: मजदूरी बोर्ड द्वारा और भागत: स्वयं उसके द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर ही कार्यवाही कर सकेगा :

परन्तु यदि अधिकरण की यह राय है कि उन साक्षियों में से जिनका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, किसी की भी अतिरिक्त परीक्षा, न्याय के हित में आवश्यक है तो वह किसी ऐसे साक्षी को पुन: समन कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुन:परीक्षा के पश्चात्, यदि कोई हो, जैसी वह अनुज्ञात करे उसे उन्मोचित कर दिया जाएगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन अधिकरण के गठन हो जाने पर ऐसे गठन से ठीक पूर्व धारा 13ग के अधीन गठित और कार्य कर रहे बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उस बोर्ड के सदस्यों के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने अपने पर रिक्त कर दिए हैं :

परन्तु यदि पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों की बाबत धारा 13घ के साथ पठित धारा 13क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की गई और अधिकरण के गठन से ठीक पूर्व प्रवृत्त मजदूरी की अन्तरिम दरें तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक केन्द्रीय सरकार का इस धारा के साथ पठित धारा 12 के अधीन आदेश प्रवर्तन में नहीं आता ।]

अध्याय 3

कतिपय अधिनियमों का समाचारपत्र कर्मचारियों पर लागू होना

14. 1946 के अधिनियम 20 का समाचारपत्र-स्थापनों को लागू होना—तत्समय यथाप्रवृत्त औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के उपबन्ध हर ऐसे समाचारपत्र-स्थापन को, जिसमें बीस या अधिक समाचारपत्र कर्मचारी नियोजित हैं या पूर्वगामी बारह मास के किसी भी दिन नियोजित थे, ऐसे लागू होंगे मानो ऐसा समाचारपत्र-स्थापन ऐसा औद्योगिक स्थापन है जिसको पूर्वोक्त अधिनियम उसकी धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना द्वारा लागू किया गया है और मानो समाचारपत्र कर्मचारी उस अधिनियम के अर्थ में कर्मकार है ।

15. 1952 के अधिनियम 19 का समाचारपत्र-स्थापनों को लागू होना—तत्समय यथाप्रवृत्त कर्मचारी भविष्य-निधि [1][और प्रकीर्ण उपबन्‍ध] अधिनियम, 1952 हर ऐसे समाचारपत्र-स्थापन को, जिसमें किसी भी दिन बीस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, ऐसे लागू होगा मानो ऐसा समाचारपत्र-स्थापन ऐसा कारखाना है जिसको पूर्वोक्त अधिनियम उसकी धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा लागू किया गया है और मानो समाचारपत्र कर्मचारी उस अधिनियम के अर्थ में कर्मचारी है ।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

16. इस अधिनियम से असंगत विधियों और करारों का प्रभाव—(1) इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् किए गए किसी अधिनिर्णय, करार या सेवा संविदा के निबंधनों में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे :

परन्तु जहां समाचारपत्र कर्मचारी ऐसे किसी अधिनिर्णय, करार या सेवा संविदा के अधीन या अन्यथा, किसी विषय के संबंध में ऐसे फायदों का हकदार है जो उसके लिए उनसे अधिक अनुकूल हैं जिनका वह इस अधिनियम के अधीन हकदार है तो वह समाचारपत्र कर्मचारी उस विषय के संबंध में उन अधिक अनुकूल फायदों का इस बात के होते हुए भी हकदार बना रहेगा कि वह अन्य विषयों के संबंध में फायदे इस अधिनियम के अधीन प्राप्त करता है ।

---

[1] 1976 के अधिनियम सं० 99 की धारा 17 द्वारा (1-8-1976 से) "और कुटुम्‍ब पेंशन निधि" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित, जो 1971 के अधिनियम सं० 16 की धारा 13 द्वारा अन्त:स्थापित किए गए थे ।

(2) इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी समाचारपत्र कर्मचारी को किसी विषय के संबंध में उसके ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार जो उसके लिए उनसे अधिक अनुकूल हैं जिनका वह इस अधिनियम के अधीन हकदार है, अनुदत्त कराने के लिए किसी नियोजक के साथ कोई करार करने से रोकती है ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1][**16क. नियोजक द्वारा समाचारपत्र कर्मचारियों को पदच्युत, सेवोन्मुक्त, आदि न किया जाना**—किसी समाचारपत्र स्थापन के संबंध में कोई नियोजक, धारा 12 के अधीन या धारा 13कक या धारा 13घघ के साथ पठित धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार के किसी आदेश में विनिर्दिष्ट समाचारपत्र कर्मचारियों को मजदूरी के संदाय के अपने दायित्व के कारण, किसी समाचारपत्र कर्मचारी को पदच्युत या सेवोन्मुक्त नहीं करेगा या उसकी छंटनी नहीं करेगा ।]

[2][**17. नियोजक द्वारा देय धन की वसूली**—(1) जहां किसी नियोजक द्वारा किसी समाचारपत्र कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन कोई रकम देय है वहां समाचारपत्र कर्मचारी स्वयं या इस निमित्त लिखित रूप में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अथवा उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य, वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसको देय रकम की वसूली के लिए राज्य सरकार से आवेदन कर सकेगा और यदि राज्य सरकार का या ऐसे प्राधिकारी का, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, समाधान हो जाता है कि कोई रकम वैसे देय है तो वह उस रकम के लिए एक प्रमाणपत्र कलक्टर को भेजेगा और कलक्टर उस रकम को उसी रीति से वसूली करने के लिए कार्रवाई करेगा जिसमें भू-राजस्व की बकाया वसूली की जाती है ।

(2) यदि किसी समाचारपत्र कर्मचारी को उसके नियोजक से इस अधिनियम के अधीन देय रकम की बाबत कोई प्रश्न पैदा हो तो राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या उसको आवेदन किए जाने पर, उस प्रश्न को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त औद्योगिक विवादों की जांच-पड़ताल और निपटारे से संबद्ध किसी तत्समान विधि के अधीन उस द्वारा गठित किसी श्रम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगी और उक्त अधिनियम या विधि उस श्रम न्यायालय के संबंध में ऐसे प्रभावी होंगे मानो ऐसा निर्देशित प्रश्न उस अधिनियम या विधि के अधीन न्यायनिर्णयन के लिए उस श्रम न्यायालय को निर्देशित विषय हों ।

(3) श्रम न्यायालय का विनिश्चय उसके द्वारा उस राज्य सरकार को भेजा जाएगा जिसने निर्देश किया और ऐसी कोई रकम जिसे श्रम न्यायालय ने देय पाया हो उपधारा (1) में उपबन्धित रीति से वसूल की जा सकेगी ।

17क. रजिस्टर, अभिलेख और मस्टररोल रखना—समाचारपत्र-स्थापन के संबंध में प्रत्येक नियोजक ऐसे रजिस्टर, अभिलेख और मस्टररोल जैसे विहित किए जाएं और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, तैयार करेगा और बनाए रखेगा ।

17ख. निरीक्षक—(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और उन स्थानीय सीमाओं को परिनिश्चित कर सकेगी जिनके अन्दर वे अपने कृत्यों का प्रयोग करेंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षक यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या इस अधिनियम के या श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी दर नियतन) अधिनियम, 1958 (1958 का 29) के उपबन्धों में से किन्हीं का किसी समाचारपत्र-स्थापन के सम्बन्ध में पालन किया गया है—

(क) किसी नियोजक से ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे;

(ख) किसी समाचारपत्र-स्थापन में या उससे संबंधित किसी परिसर में उचित समय पर प्रवेश कर सकेगा और किसी व्यक्ति से जो वहां का भारसाधक पाया जाए, किन्हीं लेखाओं, पुस्तकों, रजिस्टरों और उस स्थापन में व्यक्तियों के नियोजन या मजदूरी के संदाय से सम्बद्ध अन्य दस्तावेजों को परीक्षा के लिए अपने समक्ष पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ग) पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी से सुसंगत किसी विषय के बारे में नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या किसी अन्य व्यक्ति की जो उस समाचारपत्र-स्थापन का या उससे संबंधित किसी परिसर का भारसाधक पाया जाए या किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसके बारे में निरीक्षक के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतुक है कि वह उस स्थापन में कर्मचारी है या रहा है, परीक्षा कर सकेगा;

(घ) उस समाचारपत्र-स्थापन के संबंध में रखी गई किसी पुस्तक, रजिस्टर या अन्य दस्तावेजों की नकल बना सकेगा या उनसे उद्धरण ले सकेगा;

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसी विहित की जाएं ।

(3) प्रत्येक निरीक्षक भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

(4) कोई दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए या जानकारी देने के लिए निरीक्षक द्वारा उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित कोई व्यक्ति ऐसा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगा ।]

---

[1] 1981 के अधिनियम सं० 36 की धारा 3 द्वारा (13-8-1980 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 1962 के अधिनियम सं० 65 की धारा 5 द्वारा (15-1-1963 से) धारा 17 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

18. शास्ति—[1][(1) यदि कोई नियोजक इस अधिनियम या तद्धीन या बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा तो वह जुर्माने से, जो दौ सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

COURT BOOK

(1क) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाने पर, उसी उपबन्ध का उल्लंघन अन्तर्गस्त करने वाले किसी अपराध के लिए पुन:सिद्धदोष ठहराया जाएगा वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(1ख) जहां कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहां हर व्यक्ति, जो ऐसे अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस धारा में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(1ग) उपधारा (1ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी ओर से हुई किसी घोर उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

(1घ) उस धारा के प्रयोजनों के लिए :—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है;

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।]

(2) प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय, इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

(3) कोई न्यायालय इस धारा के अधीन अपराध का संज्ञान उस दशा के सिवाय नहीं करेगा जिसमें उसके लिए परिवाद उस तारीख से जिस तारीख को उस अपराध का किया जाना अभिकथित है छह मास के अन्दर कर दिया जाता है ।

19. परित्राण—बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य [2][या अधिकरण गठित करने वाले व्यक्ति] [3][या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षक] के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए नहीं हो सकेगी जो सद्भापूर्वक की गई है या की जानी आशयित है ।

[4][**19क. नियुक्ति में त्रुटियों से कार्यों का अविधिमान्य न होना**—बोर्ड के किसी भी कार्य या कार्यवाही को केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि बोर्ड में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि विद्यमान है ।

19ख. व्यावृत्ति—इस अधिनियम या श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी दर नियतन) अधिनियम, 1958 (1958 का 29) की कोई भी बात [5][किसी ऐसे समाचारपत्र कर्मचारी को] लागू नहीं होगी जो सरकार का ऐसा कर्मचारी है जिसे मौलिक और अनुपूरक नियम, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवा) नियम, पुनरीक्षित छुट्टी नियम, सिविल सेवा विनियम, रक्षा सेवाओं में सिविलियन (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, या भारतीय रेल स्थापन संहिता या कोई अन्य नियम या विनियम जो शासकीय राजपत्र में इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, लागू होते हैं ।]

20. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में से सब या किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) श्रमजीवी पत्रकारों को उपदान का संदाय;

(ख) श्रमजीवी पत्रकारों के काम के घंटे;

---

[1] 1962 के अधिनियम सं० 65 की धारा 6 द्वारा (15-1-1963 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1979 के अधिनियम सं० 6 की धारा 5 द्वारा (31-1-1979 से) अन्त:स्थापित ।

[3] 1962 के अधिनियम सं० 65 की धारा 7 द्वारा (15-1-1963 से) अन्त:स्थापित ।

[4] 1962 के अधिनियम सं० 65 की धारा 8 द्वारा (15-1-1963 से) अन्त:स्थापित ।

[5] 1974 के अधिनियम सं० 60 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ग) अवकाश दिन, उपार्जित छुट्टी, चिकित्सक प्रमाणपत्र पर छुट्टी आकस्मिक छुट्टी या किसी अन्य प्रकार की छुट्टी जो श्रमजीवी पत्रकारों के लिए अनुज्ञेय हों;

COURT BOOK

[1][(घ) प्रक्रिया जिसका अनुसरण [2][यथास्थिति बोर्ड, या अधिकरण] द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में किया जाना है;

(ङ) नामनिर्देशनों का प्ररूप, और रीति जिसमें नामनिर्देशन किए जा सकेंगे;

(च) रीति जिसमें कोई व्यक्ति धारा 5क की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया जा सकेगा;

(छ) नामनिर्देशनों में फेरफार या उनका रद्द किया जाना;

(ज) धारा 12 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन सूचना देने की रीति;

(झ) रजिस्टर, अभिलेख और मस्टररोल जो समाचारपत्र-स्थापनों द्वारा तैयार किए और रखे जाने हैं, प्ररूप जिनमें वे तैयार किए और रखे जाने चाहिएं और विशिष्टियां जो उनमें प्रविष्ट की जानी हों;

(ञ) शक्तियां जो निरीक्षक द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी;

(ट) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

[3][(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में [4][अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों] में पूरी हो सकेंगी । यदि उस सत्र के या [5][पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व] दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

21. [1955 के अधिनियम संख्यांक 1 का निरसन]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम सं० 58) की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा निरसित ।

[6][**अनुसूची**

[धारा 2(घ) देखिए]

1. धारा 2 के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए,—

(1) सामान्य नियंत्रण के अधीन दो या अधिक समाचारपत्र-स्थापनों को एक समाचारपत्र-स्थापन समझा जाएगा;

(2) किसी व्यष्टि और उसके पति या उसकी पत्नी के स्वामित्वाधीन दो या अधिक समाचारपत्र-स्थापनों को तब तक एक समाचारपत्र-स्थापन समझा जाएगा जब तक कि यह दर्शित नहीं किया जाता कि ऐसा पति या ऐसी पत्नी अपनी व्यष्टिक निधियों के आधार पर किसी निगमित निकाय का या की एकमात्र स्तत्वधारी या भागीदार या शेयरधारक है;

(3) ऐसे दो या अधिक समाचारपत्र-स्थापन, जो एक ही या समरूप नाम वाले समाचारपत्र हैं और एक ही भाषा में भारत में किसी स्थान में अथवा एक ही या समरूप नाम वाले समाचारपत्र उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में भिन्न-भिन्न भाषाओं में प्रकाशित कर रहे हैं, एक समाचारपत्र-स्थापन समझे जाएंगे ।

2. पैरा 1 (1) के प्रयोजनों के लिए, दो या अधिक स्थापनों को वहां सामान्य नियंत्रण के अधीन समझा जाएगा—

(क) (i) जहां समाचारपत्र-स्थापन सामान्य व्यष्टि या व्यष्टियों के स्वामित्व में हैं,

(ii) जहां समाचारपत्र-स्थापन फर्मों के स्वामित्व में हैं यदि ऐसी फर्मों के पर्याप्त संख्या में भागीदार सामान्य हैं;

(iii) जहां समाचारपत्र-स्थापन निगमित निकायों के स्वामित्व में हैं, यदि एक निगमित निकाय अन्य निगमित निकाय का समनुषंगी है या दोनों सामान्य नियंत्री कंपनी के समनुषंगी हैं या उसके पर्याप्त संख्या में साधारण शेयर एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के, चाहे निगमित हो या नहीं, स्वामित्व में हैं;

[1] 1962 के अधिनियम सं० 65 की धारा 9 द्वारा (15-1-1963 से) खण्ड (घ), (ङ) और (च) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1979 के अधिनियम सं० 6 की धारा 6 द्वारा (3-1-1979 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 1962 के अधिनियम सं० 65 की धारा 9 द्वारा (15-1-1963 से) उपधारा (3) का यह वर्तमान स्वरूप है ।
[4] 1974 के अधिनियम सं० 60 की धारा 6 द्वारा "या दो आनुक्रमिक सत्रों में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1974 के अधिनियम सं० 60 की धारा 6 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1989 के अधिनियम सं० 31 की धारा 4 द्वारा अन्त:स्थापित ।

(iv) जहां एक स्थापन निगमित निकाय के स्वामित्व में है और दूसरा किसी फर्म के स्वामित्व में है, यदि पर्याप्त संख्या में उस फर्म के भागीदार एक साथ मिल कर निगमित निकाय के साधारण शेयर पर्याप्त संख्या में धारण करते हैं;

(v) जहां एक स्थापन निगमित निकाय के स्वामित्व में है और दूसरा ऐसी फर्म के स्वामित्व में है, जिसके भागीदार निगमित निकाय हैं, यदि ऐसे निगमित निकायों के पर्याप्त संख्या में साधारण शेयर प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के, चाहे निगमित हों या नहीं, स्वामित्व में हैं; या

(ख) जहां संबंधित समाचारपत्र-स्थापनों में कृत्यात्मक समग्रता है ।]

COURT BOOK